15/10/2020

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी उपस्थित। पत्रावली मे संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक वाद इस न्यायालय मे दर्ज होकर साथ मे प्रार्थना पत्र 212 RTA का प्रस्तुत कर बताया कि वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 48 नया 38 पुराना के खसरा नं 360 रकबा 0.054 है मे निर्माण कार्य करके कब्जा कर रहे है। अप्रार्थी गण को नोटिस जारी किया जाकर अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये व अपना जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार अप्रार्थी गण द्वारा उक्त आराजी पर किसी प्रकार का कोई झगड़ा व निर्माण कार्य नही करवाया जा रहा है तथा उक्त भूमि पर पटवारी गिरदावर द्वारा मौका निरीक्षण पर भी उक्त आराजी मे किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप होना नही पाया गया। साथ ही अप्रार्थी द्वारा बहस के दौरान भी यही बात दोहराई गई कि वो उक्त आराजी पर काबिज ही नही है न कोई दखल दे रहे बाद यान किया मे प्रार्थी ने अपनी बहस या प्रा० पत्र मे इस प्रकार का कोई तथ्य प्रस्तुत नही किया जिससे यह तय होता है कि अप्रार्थी वादग्रस्त आराजी मे किस प्रकार दखलंदाजी कर रहा है। अत: प्रार्थी यह साबित करने मे असफल रहा है कि किस प्रकार अकारण से उसे अपूरणीय क्षति होने की संभावना है। तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे न होकर मामला प्रथम दृष्टया साबित नही होता है। अत: प्रार्थना पत्र

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता[illegible] अहकाम [illegible] हुक्म की [illegible] में जारी
अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज किया जाकर फैसला शुमार किया जाकर मूल वाद के साथ नत्थी किया जावे [illegible] से मूल में। यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। [signature] 15/10/20[illegible]	